



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: 41 बीएक्सआईआईआई

Reference No.:-

Date: 03/03/2020

विभागानुसार- प्रत्येक अनुदत्त प्राधिकार, अनुज्ञापत्र या रियायत

41 बीएक्सआईआईआई

संदर्भ सं.:-

दिनांक: 03-03-2020

विभागानुसार- प्रत्येक अनुदत्त प्राधिकार, अनुज्ञापत्र या रियायत

Department wise - For each concessions, permit or authorization granted

क्रम सं.	विभाग	टिप्पणियाँ
1	एजेंसी वितरण	9) कॉर्पोरेट एजेंट https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/frmGeneral_Layout.aspx?page=PageNo2849&flag=1 10) एजेंट https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/frmGeneral_Layout.aspx?page=PageNo2849&flag=1
2	सर्वेक्षक	विनियम एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) क्रमशः सार्वजनिक डोमेन के वेबसाइट www.irdai.gov.in और www.irdabap.org.in में हैं
3	गैर-जीवन(क)	पात्रता मानदण्ड (ख) रियायतें, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार पंजीकरण) विनियम (7वां संशोधन, 2016), में देखी जा प्राप्त करने की कार्य पद्धति ये मर्दे, आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम (7वां संशोधन, 2016), में देखी जा सकती हैं, जो कि www.irdai.gov.in सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है (ग) रियायत, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार प्राप्तकर्ताओं के नाम और पता यह जानकारी www.irdai.gov.in सार्वजनिक डोमेन में देखी जा सकती है (घ) रियायत, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार प्रदान करने की तिथि
4	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के पंजीकरण, आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 और समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुसार किये जाएंगे। आवेदक कंपनियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी इन विनियमों में निर्धारित की जा चुकी है। उक्त विनियम आईआरडीएआई वेब साइट www.irdai.gov.in पर रखे गये हैं। टीपीए पंजीकरण और पंजीकरण का नवीकरण, आईआरडीएआई (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियम 2016 और आईआरडीएआई परिपत्र संख्या आईआरडीए/टीपीए/आईसीआईआर/059/03/2016, दिनांकित 28-03-2016 में विनिर्दिष्ट हैं। टीपीए और आवेदक (टीपीए) कंपनियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी दिशानिर्देश में निर्धारित की गयी है। उपरोक्त विनियम और दिशानिर्देश आईआरडीएआई के वेबसाइट www.irdai.gov.in पर रखे गये हैं।